



उप विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु आवेदन पत्र

उप आवासन आयुक्त

वृत्त—.....

.....(शहर का नाम)

महोदय,

(1) मैं/हम राजस्थान आवासन मण्डल की योजना (शहर का नाम) के सेन्टर में स्थित भूखण्ड/आवास संख्या के उप विभाजन/पुनर्गठन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

(2) आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न है:-

- (i) आवंटन पत्र/प्रेपिचवल डीड/कन्वेंस डीड की प्रमाणित प्रति। खरीद, बेचान की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति, नाम हस्तांतरण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- (ii) मण्डल द्वारा जारी साईट प्लान की प्रमाणित प्रति।
- (iii) कब्जा पत्र की प्रमाणित प्रति।
- (iv) सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त द्वारा जारी अदेय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- (v) अन्य कोई शुल्क जो राजस्थान आवासन मण्डल में जमा कराये गये हैं, की रसीद की प्रमाणित प्रति।
- (vi) अपेक्षित उप विभाजन/पुनर्गठन हेतु मानचित्र की प्रति।

स्थान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर

उपविभाजन हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों हेतु चैक लिस्ट:-

1	आवेदक का नाम, पता व पूर्ण विवरण				
2	भूस्वामित्व दस्तावेजों अनुसार भूखण्ड स्वामी का नाम, पता व पूर्ण विवरण				
3	आवंटन/लीज डीड अनुसार भूखण्ड का प्रयोजन				
4	मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल				
5	भूखण्ड के उप विभाजन का उद्देश्य यथा निजी उपयोग/छोटे भूखण्डों के रूप में बेचना/पारिवारिक उप विभाजन/अन्य				
6	उप विभाजन पश्चात् प्रत्येक उप विभाजित भू-भाग का नियमानुसार पहुँच मार्ग उपलब्ध है अथवा नहीं?				
7	उप विभाजित किये जाने वाले भूखण्डों का क्षेत्रफल	क्र.स.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	
		योग			
8	सैटबैक	क्षेत्रफल			
		अग्र	साईड-1	साईड-11	पीछे
		मूल भूखण्ड के अनुसार			
		योजना/संबंधित तालिका के अनुसार			
		मौके की भवन रेखा के अनुसार			
	प्रस्तावित				
9	प्रस्तावित उप विभाजन का मानचित्र व उप विभाजन से पूर्व का मानचित्र मय सैटबैक				
10	प्रस्तावित उपविभाजन 7 दिवस हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्र में सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित किया जाकर, विज्ञप्ति की प्रति				
11	यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उस पर की गई कार्यवाही व निस्तारण का विवरण				
12	उप विभाजन पश्चात् प्रत्येक उप विभाजित भूखण्ड/भू-भाग को सैटबैक छोड़ने के उपरांत पर्याप्त निर्मित क्षेत्र मिल रहा है अथवा नहीं?				
13	सक्षम न्यायालय से यदि कोई स्थगन आदि हो तो उसका व न्यायिक प्रकरणों का विवरण				
14	समस्त भूखण्डधारियों की सहमति है या नहीं (प्रति उपलब्ध करावें)				
15	आवेदक भू-स्वामी है या अन्य कोई? उसका लीगल स्टेटस क्या है?				

16	क्या प्रकरण पूर्व में राज्य सरकार को भेजा गया है? यदि हाँ तो संबंधित पत्र का क्रमांक, दिनांक व प्रति तथा राज्य सरकार के जवाबी पत्र का क्रमांक दिनांक व प्रति व निर्देशों के क्रम में की गई कार्यवाही/टिप्पणी	
17	मौके पर भूखण्ड/आवास पर रिक्त अथवा निर्मित होने की स्थिति का विस्तृत विवरण मय मानचित्र	
18	उप आवासन आयुक्त की अनुशंषा क्या है?	
19	आवासन अभियन्ता की अनुशंषा क्या है?	
20	मौके के फोटोग्राफ	
21	मौके पर निर्माण को ध्वस्त कर नवीन निर्माण प्रस्तावित है अथवा नहीं? ध्वस्त किये जाकर नवीन निर्माण प्रस्तावित होने की स्थिति में शपथ-पत्र की प्रति। निर्मित होने की स्थिति का विस्तृत विवरण मय मानचित्र	
22	प्रकरण संबंधित अन्य सुसंगत सूचनाएँ व विवरण जो निर्णय लेने में सहायक हो।	

हस्ताक्षर व नाम
उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

पुनर्गठन हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों की चैक लिस्ट:-

1	आवेदक का नाम, पता व पूर्ण विवरण				
2	भूस्वामित्व दस्तावेजों अनुसार भूखण्ड स्वामी का नाम				
3	आवंटन/लीज डीड अनुसार भूखण्ड का प्रयोजन				
4	पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल				
5	भूखण्डों के पुनर्गठन का उद्देश्य यथा निजी आवास/फ्लैट्स/ग्रुप हाउसिंग/अन्य				
6	क्या पुनर्गठन पश्चात् बहुमंजिला भवन प्रस्तावित है?				
7	पुनर्गठन किये जाने वाले भूखण्डों का क्षेत्रफल	क्र.स.	भूखण्ड संख्या		क्षेत्रफल
		1			
		2			
		योग			
8	सैटबैक	क्षेत्रफल			
		अग्र	साईड-I	साईड-II	पीछे
		मूल भूखण्डों के अनुसार			
		योजना/संबंधित तालिका के अनुसार			
		मौके की भवन रेखा के अनुसार प्रस्तावित			
9	प्रस्तावित पुनर्गठित भूखण्डों के मध्य कोई राजकीय भूमि तथा रास्ता सम्मिलित है। हाँ/नहीं (यदि हाँ तो विवरण दे)				
10	प्रस्तावित पुनर्गठित भूखण्ड का मानचित्र व पुनर्गठन से पूर्व का मानचित्र संलग्न करें।				
11	प्रस्तावित पुनर्गठन 7 दिवस हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्र में सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित किया जाकर, विज्ञप्ति की प्रति				
12	यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो, उस पर कार्यवाही का विवरण।				
13	पुनर्गठन पश्चात् बहुमंजिला भवन प्रस्तावित होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा DB Civil Writ Petition 1554/2004 में पारित निर्णय के क्रम में परीक्षण कर विस्तृत टिप्पणी एवं स्पष्ट अनुशंषा।				

14	सक्षम न्यायालय से यदि कोई स्थगन आदि हो तो, उसका व न्यायिक प्रकरणों का विवरण।	
15	समस्त भूखण्डधारियों की सहमति है या नहीं (प्रति उपलब्ध करावें।)	
16	आवेदक भू-स्वामी है या अन्य कोई? उसका लीगल स्टेटस क्या है?	
17	आवासन अभियन्ता की अनुशंषा क्या है?	
18	उप आवासन आयुक्त की अनुशंषा क्या है?	
19	क्या प्रकरण पूर्व में राज्य सरकार को भेजा गया है? यदि हाँ तो संबंधित पत्र का क्रमांक, दिनांक व प्रति तथा राज्य राज्य सरकार के जवाबी पत्र का क्रमांक दिनांक व प्रति व निर्देशों के क्रम में की गई कार्यवाही/टिप्पणी	
20	मौके के फोटोग्राफ	
21	मौके पर निर्माण को ध्वस्त कर नवीन निर्माण प्रस्तावित है अथवा नहीं? ध्वस्त किये जाकर नवीन निर्माण प्रस्तावित होने की स्थिति में शपथ-पत्र की प्रति। निर्मित होने की स्थिति का विस्तृत विवरण मय मानचित्र	
22	प्रकरण संबंधित अन्य सुसंगत सूचनाएँ व विवरण जो निर्णय लेने में सहायक हो।	

हस्ताक्षर व नाम
उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर